न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30 / 2018
दायरी दिनांक 02.04.2018

उनवान

1. भैरूलाल पुत्र मूलचन्द जाति जांगीड़ निवासी लाडपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 09.12.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में कृषि भूमि आराजी संख्या 1035, 1047 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नन्दा पिता चुनिया जांगीड़ ब्राह्मण निवासी लाडपुरा के खाते में दर्ज है। खातेदार नन्दा के कोई संतान नही थी तथा वह लाऔलाद था एवं नन्दा की पत्नी की मृत्यु भी नन्दा के जीवनकाल में हो गयी। नन्दा की जीवनपर्यन्त सेवा सुश्रुषा रोटी, पानी, कपड़े, दवाई आदि की व्यवस्था वादी ने की। वादी नन्दा के सगे भाई का पोता होकर नन्दा के निकटतम रिश्तदार है। नन्दा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.08.2015 को वादी द्वारा की गयी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि तथा अन्य चल अचल सम्तति का एक वसीयतनामा निष्पादित करा पंजिकृत करवाया तथा दो गवाहों की उपस्थिति में उक्त वसीयतनामे का निष्पादन एवं पंजियन करवा नन्दा ने अपनी वादग्रस्त भूमि का उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु के बाद वादी को नियुक्त कर दिया। दिनांक 14.05.2017 को नन्दा की मृत्यु हो गयी। नन्दा की मृत्यु के बाद से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी वारिस होकर काश्त करता आ रहा है। नन्दा की मृत्यु होने के बाद उसके द्वारा दिनांक 04.08.2015 को निष्पादित वसीयतनामा कानूनन प्रभाव में आ गया और नन्दा की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का स्वामी वादी हो गया है। दिनांक 18.09.2017 को वादी ने वसीयतनामा, खातेदार नन्दा के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलंग्न कर वादग्रस्त भूमि नन्दा के स्थान पर वादी के नाम नामान्तरित किये जाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी एवं उनके कर्मचारियों ने कोई प्रभावी कार्यवाही नही की। दिनांक 06.01.2018 को वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को धारा 80 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया और मृतक खातेदार नन्दा की वसीयत के आधार पर उसकी भूमि का खातेदार वादी को दर्ज करने हेतु निवेदन किया, परन्तु नोटिस प्राप्ति के बावजूद प्रतिवादी ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया एवं न ही वादी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया इस कारण वादी को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्ति हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पडा। मृतक खातेदार नन्दा की वसीयत के आधार पर वादी को नन्दा के स्थान पर वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेज करवायी जाकर तलब किया गया। दिनांक 14.08.2019 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाबदावा में प्रतिवादी द्वारा खातेदार नन्दा पिता चुनीया जांगीड ब्राह्मण की निसंतान मृत्यु होना स्वीकार किया गया तथा नन्दा की पत्नी की मृत्यु भी नन्दा के जीवनकाल में होना स्वीकार किया गया तथा खातेदार नन्दा द्वारा वसीयतनामा के निष्पादन एवं पंजीयन को भी स्वीकार किया गया एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होने का तथ्य भी स्वीकार किया गये जाने के साथ ही वादग्रस्त भूमि नन्दा के खातेदारी भूमि होने का तथ्य भी स्वीकार कर न्यायोचित आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया। वाद पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार वादपत्र में दिनांक 21.10.2019 को निम्नांकित तनकियात कायम की गयी : –

तनकी संख्या 1 :– आया मृतक खातेदार नन्दा जांगीड़ ब्राहमण ने दिनांक 04.08.2015 को अपने जीवनकाल में अपनी चल अचल सम्पति एवं वादग्रस्त आराजी का एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर वादी को वादग्रस्त आराजी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। **जिम्मे वादी**.....

तनकी संख्या 2 :– आया वादी मृतक खातेदार नन्दा जांगीड़ ब्राहमण द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजियात का खातदार घोषित किए जाने योग्य है। **जिम्मे वादी**.....

तनकी संख्या 3 :– अनुतोष क्या होगा ?

तनकियात कायम किये जाने के पश्चात् पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी। दिनांक 23.10.2019 को वादी ने साक्ष्य वादी के रूप में स्वयं PW 1 तथा गवाह PW 2 चान्दमल माली तथा PW 3 गोविन्दसिंह राजपूत के बयान सशपथ लेखबद्ध कराए। दिनांक 23. 10.2019 को शहादत वादी बन्द की गयी तथा वादपत्र में राज्य हित निहित न होने से पत्रावली बहस में नियत की गयी।

वादी PW 1 द्वारा अपने बयानो में कथन किया गया कि नन्दा जी जांगीड़ ब्राह्मण मेरे रिश्ते में दादाजी लगते थे नन्दा जी की पत्नी भी उनके जीवनकाल में फौत हो गयी। मै उनके सगे भाई का पोता हूॅ। नन्दा जी के कोई सन्तान नही थी वे लाऔलाद फौत हुए। नन्दा जी की जीवनपर्यन्त सेवा सुश्रुषा रोटी पानी की व्यवस्था मैनें की। नन्दा जी ने मेरे द्वारा की गयी सेवा से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में दिनांक 04.08.2015 को दो गवाह की उपस्थिति में एक वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति एवं वादग्रस्त भूमि मुझे वसीयत कर दी तथा अपनी जमीन जायदाद का अपनी मृत्यु के बाद मुझ वादी को वारिस नियुक्त किया है। नन्दा जी की मृत्यु दिनांक 14.05.2017 को हो गयी। मैने नन्दा जी की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु नामान्तरणकरण नही खोला, तब मैने तहसीलदार साहब को नोटिस प्रेषित किया परन्तु उन्होनें नोटिस का कोई जवाब नही दिया इसलिए मैने यह दावा किया। नन्दा जी की जमीन पर मेरा ही कब्जा काश्त है। वादी ने असल वसीयतनामा पर प्रदर्श–1 करवाया जिस पर X स्थान पर नन्दा जी का अंगूठा निशानी होना Y स्थान पर नन्दाजी का फोटो एवं Z स्थान पर वादी का फोटो होने का कथन किया। नन्दाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रदर्श–3, राशन कार्ड प्रदर्श–4, वादी का आधार प्रदर्श–5, रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 दिवानी प्रक्रिया संहिता की द्वितीयक प्रति प्रदर्श–6, नोटिस प्रेषित करने की रसीद प्रदर्श–7 एवं नोटिस की प्राप्ति रसीद प्रदर्श–8 है। वादी द्वारा उक्त बयान में निवेदन किया गया कि मृतक खातेदार नन्दा की वसीयत के आधार पर वादी को नन्दा के स्थान पर वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जावें।

गवाह PW 2 चान्दमल द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि नन्दा पिता चुनिया जांगीड़ ब्राह्मण को मै जानता हूँ। वह मेरे गाँव के होकर मेरे पड़ोस में ही रहते थे और उनके कोई सन्तान नही थी। उनकी पत्नी की मृत्यु भी उनके जीवनकाल में हो गयी। नन्दा जी की सेवा भैरूलाल जांगीड़ ने की। नन्दा जी ने मेरे सामने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 04.08.2015 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया था। वसीयतनामा के द्वारा नन्दा जी ने अपनी लाडपुरा स्थित जमीन अपनी मृत्यु के बाद भैरू के नाम दर्ज किए जाने की लिखावट की थी। वसीयतनामा प्रदर्श–1 पर नन्दा जी ने X स्थान पर अंगूठा निशानी मेरे सामने की थी तथा वसीयतनामा प्रदर्श–1 पर A से B स्थान पर मेरे गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। नन्दा जी की जमीन उनकी वसीयत के आधार पर भैरू के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। इसी प्रकार गवाह PW 3 गोविन्दसिंह राजपूत द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि मै नन्दा पिता चुनिया जांगीड़ ब्राह्मण को जानता हूँ। नन्दा जी के कोई सन्तान नही थी और उनकी पत्नी की मृत्यु भी उनके जीवनकाल में ही हो गयी थी। वादी भैरू नन्दाजी के सगे भाई का पोता होकर उनका रिश्तेदार है। भैरू नन्दाजी के पास ही रहता था। भैरू द्वारा की सेवा से प्रसन्न होकर नन्दा ने मेरे सामने एक वसीयतनामा निष्पादित किया तथा वसीयतनामे को उपपंजीयक माण्डलगढ़ के यहा रजिस्टर्ड करवाया। प्रदर्श–1 वसीयतनामे को देखकर बताया कि वसीयतनामे पर X स्थान पर नन्दा की अंगूठा निशानी है तथा C से D स्थान पर गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर है तथा वसीयतनामे पर मेरा फोटो लगा है। नन्दाजी ने उक्त वसीयतनामे के द्वारा अपनी जमीन का हकदार वादी भैरू को नियुक्त किया था। नन्दाजी की जमीन ग्राम लाडपुरा में है जिसे मै जानता हूँ। जमीन पर अभी वादी भैरू का ही कब्जा काश्त है। नन्दाजी की जमीन उनके वसीयतनामे के आधार पर वादी भैरू के नाम होनी चाहिए।

दिनांक 09.12.2019 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रिकॉर्ड में नन्दा पिता चुनिया जांगीड़ ब्राह्मण के खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। नन्दा पिता चुनिया ब्राह्मण निसंतान था तथा उसकी पत्नी का निधन भी उसके जीवनकाल में हो गया। नन्दा ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 04.08.2015 को निष्पादित कर उपपंजीयक माण्डलगढ़ के कार्यालय से पंजीकृत करवाया तथा उक्त वसीयतनामें के द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमि का उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु के बाद वादी को नियुक्त किया। नन्दा द्वारा निष्पादित वसीयतनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके फर्जी, कूटरचित या संदिग्ध होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। वसीयतनामें के निष्पादन को उसके दोनों गवाहो ने अपने बयानों में स्वीकार किया हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त प्रतिवादी के जवाब एवं दोनो गवाहो के बयानो से सिद्ध है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड प्रदर्श–4 में वादी के साथ नन्दा का नाम दर्ज होना भी साबित करता है कि नन्दा वादी के साथ ही रहता था। इसलिए मृतक खातेदार नन्दा की वसीयत के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि का नन्दा के स्थान पर खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री जारी करावें। पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयतनामा दिनांक 04.08.2015 को नन्दा द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त भी वादी का है, इसलिए न्यायोचित आदेश प्रदान करावें।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का भी अवलोकन किया एवं वादपत्र में प्रस्तुत गवाहो के बयानों पर भी मनन किया जिसके अनुसार प्रकरण में तनकिवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 1 :–

तनकी संख्या के अन्तर्गत वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि मृतक नन्दा जांगीड़ ब्राह्मण द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति का एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित कर वादी को वादग्रस्त आराजियात का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल वसीयतनामा दिनांक 04.08.2015 का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक माण्डलगढ़ के कार्यालय द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। साक्षी PW- 2 चान्दमल एवं PW-3 गोविन्द सिंह द्वारा उक्त वसीयतनामा में अपनी गवाही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी तहसीलदार माण्डलढ़ द्वारा भी उक्त वसीयतनामा उसके कार्यालय में पंजीबद्ध होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त वसीयतनामा प्रदर्श–1 एक वैध दस्तावेज होना स्पष्ट होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 180 में आराजी संख्या 1035, 1047 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा नन्दा पिता चुनिया जांगीड़ ब्राह्मण साकिन देह का नाम खातेदार के रूप में अंकित है। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नन्दा की पत्नि की मृत्यु हो चुकी है एवं नन्दा लाऔलाद होने से उसका कोई वारिस नही था। अतः विधिक रूप से नन्दा अपनी चल अचल सम्पत्ति का वारिस जरिये वसीयतनामा नियुक्त करने हेतु सक्षम व अधिकृत था। अतएव मृतक नन्दा द्वारा वादी को अपना वारिस नियुक्त करना विधि अनुसार सही पाया जाने से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2

तनकी संख्या 2 के अन्तर्गत वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि वादी मृतक खातेदार नन्दा जांगीड़ ब्राह्मण द्वारा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। खातेदार नन्दा द्वारा वादी के पक्ष में एक वसीयतनामा का पंजीयन दिनांक 04.08.2015 को करवाया गया था जिसकी पुष्टि गवाह/साक्ष्य से भी होती है अतः यह दस्तावेज एक वैध दस्तावेज होना स्पष्ट होता है। खातेदार नन्दा की मृत्यु दिनांक 14.05.2017 को हो चुकी है जो कि मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–2 से सिद्ध है। नन्दा की मृत्यु होते ही यह वसीयतनामा कानूनन प्रभाव में आ चुका है। मृतक खातेदार के कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नही है अतः वसीयतनामा के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 3 के अन्तर्गत अनुतोष का निर्णय किया जाना था चूंकि पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर वादी मृतक खातेदार का उत्तराधिकारी होना स्पष्ट होता है अतः प्रथम दृष्टया वादी को मृतक खातेदार की कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाना सही व उचित है। अतः ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1035 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा तथा आराजी संख्या 1047 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

चूंकि वादपत्र में नियत तीनों तनकिया वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है इसलिए ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1035 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा तथा आराजी संख्या 1047 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.12.10 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: